

नियमावली

१. संस्था का नाम — प्रभात एजुकेशनल ट्रस्ट
२. संस्था का पता — बी-२३, पवकी इन्डस्ट्रीयल एरिया,
साइट - १, कानपुर (उ० प्र०)
३. संस्था का कार्यक्षेत्र — समस्त उत्तर प्रदेश संस्था का कार्यक्षेत्र होगा
जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
४. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :—

प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उम्र से वालिंग हो, संस्था के उद्देश्यों में आस्था व विश्वास रखता हो, नियमावली का पालन करने के लिये वचनबद्ध रहे, संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा। सदस्यता हेतु संस्था के प्रबन्धक / मंडी के नाम आवेदन करना होगा प्रबन्धक मंडी की संस्तुति पर अधिक द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने पर, सदस्यता प्रदान की जा सकती है। संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे :—

(१) संस्थापक सदस्य :—



जिन व्यक्तियों को संस्था के पंजीयन के एक माह की अवधि के अन्दर संस्थापक सदस्य पोषित किया जायेगा वह आजीवन संस्थापक सदस्य रहेंगे। संस्था के पंजीयन के समय जो सात न्यासी एवं प्रबन्धकारी नियमिति के पदाधिकारी / सदस्य होंगे वह आजीवन संस्था के संस्थापक सदस्य होंगे। किसी संस्थापक सदस्य की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को संस्थापक सदस्य होने का अधिकार होगा। पंजीयन के एक माह बाट संस्थापक सदस्य नहीं बनाये जायेंगे किन्तु संस्थापक सदस्य की मृत्यु पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को संस्थापक सदस्य बनाने पर एक माह बाट भी संस्थापक सदस्य न बनाने का प्रतिबन्ध लागू न होगा।

(२) आजीवन सदस्य :—

जो व्यक्ति इस संस्था को ₹०५०००/- (रुपये एक लाख एक हजार) रुपया नकद या समान मूल्य की चल अवसर गम्भीर देंगे वे इस संस्था के आजीवन गठस्य होंगे।

(३) सामान्य सदस्य :—

जो व्यक्ति इस संस्था को ₹५००/- रुपया प्रवेश शुल्क देकर प्रतिवर्ष ₹१००/- रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देने वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

(४) विशिष्ट सदस्य :—

संस्था के अधिक एवं प्रबन्धक / मंडी द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसको सेवा एवं प्रोफेशन के आधार पर संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जा सकेगा। विशिष्ट सदस्यों की सदस्यता निःशुल्क होगी। इनकी सदस्यता की अवधि दो वर्ष होगी एवं पुनः नियुक्ति को जा सकेगी। किन्तु इनकी संस्था नाम से अधिक नहीं होगी। दो-दो सदस्य अधिक एवं प्रबन्धक / मंडी बना सकेंगे। उन्हें साथारण सभा का सदस्य याना जायेगा एवं भवितव्य का अधिकार होगा।

संस्था-प्रतिविधि
—५०००/-
इन विवरण
को प्राप्त करने वाला लोगाद्वारा
नियमावली का अधिकारी
का द्वारा दिया जाना चाहिए।
१२/१२/१९

B. ...

W...
✓

✓

✓

Monika
Kurule

Archit Kankh

(4) सदस्यता की गणाधिः— पूर्ण हो जाने पर / पालन / दिवालिया हो जाने पर
न्यायालय द्वारा किसी ऐतिह अपराध में दण्डित होने पर / सदस्यता
रुक्त नियमित न होने पर / संख्य विरोधी कार्य करने पर / बिना
पूर्व सूचना के लगातार तीन या इससे अधिक दैठकों में अनुपस्थित
रहने पर / व्यापार देने व उसके स्वीकार हो जाने पर / बहुपत से
अविश्वास प्रसाद लगातार हो जाने पर । सदस्यता समाधि का
निर्णय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पर साधारण सभा में उपस्थित
सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा ।

- (1) संस्था के अंग:- (अ) साधारण सभा ।
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

- (ब) साधारण सभा:-
(अ) गठन:-

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर संस्था की साधारण सभा का
गठन होगा जिनमें निम्न प्रकार के सदस्य शामिल होंगे ।

- (1) संस्थापक सदस्य
(2) आजीवन सदस्य
(3) सामान्य सदस्य
(4) विशिष्ट सदस्य

- (ब) दैठक / समान्य व विशेष— प्रबन्धक / मंडी द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन पर
साल में एक बार साधारण सभा की दैठक सुलाया जाना अनिवार्य होगा ।
साधारण सभा की विशेष दैठक को आवश्यकतानुसार कभी भी सुलाया जा
सकती है ।

- (स) सूचना अधिः— साधारण सभा की विशेष दैठकों की सूचना १५ दिन व
विशेष दैठक की ७ दिन पूर्व प्रसारित की जायेगी ।

- (द) मण्डूर्ति:- कुल सदस्यों की १/३ उपस्थिति यानी जायेगी । कोरम के
आधार में मण्डूर्ति दैठकों के लिए कोरम का प्रतिबन्ध नहीं
होगा । परन्तु विशेष व एजेन्डा पूर्वानन्द हो रहे गा ।

- (८) साधारण सभा के कार्य—

- (1) वार्षिक बजट एवं रिपोर्ट का अनुमोदन करना ।
(2) अंकेनक की नियुक्ति अथवा इस हेतु प्रबन्धकारिणी समिति को
अधिग्रहित करना ।
(3) प्रबन्ध समिति में परिवर्तन करना ।
(4) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संस्करण, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन
स्वीकार करना ।
प्रबन्ध समिति के निर्णयों के विशद अधीन सूचना ।

वात्य-प्रधिकारी

८०००
एवं विकास
इन्डिया लिमिटेड
प्रबन्ध प्रमुख-एवं दोषाधीन
प्राधान

Dinesh

Kush

*Monika
Kurule*

Pankaj

(१) प्रबन्धकारिणी समिति :-

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति निम्नप्रकार होगी ।

(१)	अध्यक्ष	एक
(२)	उपाध्यक्ष	एक
(३)	प्रबन्धक / मंत्री	एक
(४)	उपप्रबन्धक	एक
(५)	कोषाध्यक्ष	एक
(६)	कार्यकारीणी सदस्य	टी

इस प्रकार वर्तमान में प्रबन्धक समिति में कुल संख्या ७ होगी । कार्यकारीणी सदस्य की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी या घटायी जा सकती है । किन्तु कुल प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों एवं कार्यकारीणी सदस्यों की कुल संख्या ७ से कम नहीं होगी ।

वर्तमान में प्रबन्धकारिणी समिति के निम्नलिखित व्यक्ति पदाधिकारी एवं सदस्य हैं —

संख्या	नाम , पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	व्यवसाय
१	प्रभास चन्द्र कुरेले स्व० पुर श्री मनू लाल कुरेले १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	अध्यक्ष	उद्योगपति
२	जीवन कुमार कुरेले पुर श्री प्रभास चन्द्र कुरेले १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	उपाध्यक्ष	उद्योगपति
३	संजय कुमार कुरेले पुर श्री प्रभास चन्द्र कुरेले १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	प्रबन्धक	उद्योगपति
४	अभिनव कुमार कुरेले पुर श्री प्रभास चन्द्र कुरेले १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	कोषाध्यक्ष	उद्योगपति
५	श्रीमती मोनिका कुरेले पुरी श्री अवध विहारी लाल गवत १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	उपप्रबन्धक / उपमंत्री	स्वापार
६	श्रीमती प्रीति कुरेले पुरी श्री जी० डी० गुप्ता १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	सदस्य	स्वापार
७	श्रीमती आरती कुरेले पुरी श्री अमर नाथ गुप्ता १५/एम/२०, दबौली, कानपुर — २०८०२२	सदस्य	स्वापार

प्रबन्धकारिणी समिति में परिवर्तन सापारण सभा द्वारा किया जायेगा ।

अच्युत एवं प्रबन्धक मंत्री को नियमित संस्थापक गटरणों से ही को जारेगी।

- (अ) वैठके — सामान्य या विशेष— सामान्य वैठक प्रति तिमाही की जायेगी । विशेष वैठक आवश्यकतानुसार कभी भी अध्यष्ठ के अनुमोदन पर प्रबन्धक / मंत्री द्वारा दुलायी जा सकती है ।

(ब) सूचना अवधि— सामान्य वैठकों को सूचना ७ दिन व विशेष वैठक की सूचना २४ घण्टे पूर्व प्रसारित करना अनिवार्य होगा ।

(स) गणपूर्ति :— कुल सदस्यों की २/३ उपरिक्षित गणपूर्ति मानी जायेगी । कोरम के आधार में सहित वैठकों के लिए कोरम का प्रबन्धन नहीं होगा परन्तु विवेय व एजेण्टा पूर्वान्तर ही रहेंगे ।

(द) रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि— संसदा की प्रबन्धकारिणी समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा की जायेगी । जिसका अनुमोदन संसदारण सभा में बहुमत से किया जायेगा ।

(ए) प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य—

 - (१) समिति के द्वारा संचालित संसदाओं / केन्द्रों की प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रबन्ध व व्यवस्था करना । उसके लिए सम्पूर्ण संसाधन जटाना । आवश्यकतानुसार वैतनिक कार्यवारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, नियामन एवं निलम्बन आदि के निर्णय लेना ।
 - (२) संसदा का वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट के पास करना ।
 - (३) शिक्षा विभाग एवं अन्य समवायित विभागों के नियमों को संचालित विद्यालयों एवं संसदाओं / केन्द्रों पर प्रभावी बनाना ।
 - (४) समिति को बहु अवल सम्पत्ति, घृणि आदि का काय करना, निर्माण करना व उसके लिए आवश्यक धन व्यवहार करने की अनुमति देना । धन की आवश्यकता होने पर व्यक्तियों, दैको, संसदाओं से छूट लेना, सम्पत्तियों को बन्धक रखना ।
 - (५) उद्देश्य पूर्ति हेतु योजना व कार्यक्रम बनाना, विभिन्न विभागों से अनुमति / अनुमोदन प्राप्त करना ।
 - (६) संसदाओं / केन्द्रों / विद्यालय के संचालक के सम्बन्ध में एवं अन्य कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में नियम व उपनियम बनाना ।
 - (७) दैक साल खोलना, संचालन करना, संसद के धन का विवेश करना ।
 - (८) किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए उपसमितियों का गठन करना । उपसमितियों के प्राधिकारियों की नियुक्ति करना ।

संस्का के संचालन हेतु अन्य सभी कार्य करना।

१० दिसंबर १९८० श्री गोवार्हणी
गोवार्हणी

1

~~✓~~

See Part

Monika
Kuryle

~~Arab~~

(१०) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—

(१) अध्यय्य—

- इस संस्था का मुख्य पदाधिकारी होगा तथा समस्त प्रबन्ध, संचालन व व्यवस्था पर अपना पूर्ण नियंत्रण होगा। सभी प्रकार के पारित प्रस्तावों के कार्यान्वय हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश समय — समय देना।
- (२) सभी प्रकार की बैठकों की दिनांकों का अनुमोदन, स्थान व निरसनीकरण करना। आयोजित बैठकों की अप्पायुक्त करना; किसी विषय पर बहावर मत आने पर अपने विशेष मत का प्रयोग करना। अध्यय्य का मत ही उस विषय पर अनिम व निर्णीयक रहेगा।
- (३) एजेंडा आदि के विषय अनुमोदित करना व एजेंडो के अतिरिक्त विषयों को आवश्यकतानुसार बैठकों में प्रस्तुत करने की अनुमति देना।
- (४) समस्त प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, अनुबंधों, शर्तनामों, बैनामों, अधिकेन्द्रों व रिकार्डों तथा रजिस्टरों आदि को प्राप्तान्वित करना।
- (५) ऐसी समिति में जब प्रबन्ध समिति व सांचालन सभा की बैठके युलायी जाना। सम्भव न हो संस्था के हित में आपातकालीन निर्णय लेना।
- (६) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयानुसार अन्य कार्यों को करना।
- (७) उपायमय—
- (१) अध्यय्य के कार्यों में सहयोग करना व उसके निर्देशों का पालन करना।
 - (२) अध्यय्य की अनुपस्थित में उसके उन अधिकारों व कर्तव्यों का पालन व प्रयोग करना जो तदर्थ रूप से अध्यय्य अवधा प्रबन्ध समिति द्वारा उसे प्रतिनिहित किये नये हो।
 - (३) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयानुसार अन्य कार्यों को करना।
- (८) प्रबन्धक / भंडी—
- (१) इस समिति का मुख्य कार्यपालक होगा तथा समस्त प्रकार के संचालन, प्रबन्ध व व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (२) संचालित विधालय की चल अचल सम्बन्धि, भूमि, भवन आदि की देखरेख व मुरखा करना तथा इसमें सम्बन्धित अनुबंधों, दस्तावेजों व शर्तनामों बैनामो आदि को संस्था के प्राप्ति की हेतियत से सुरक्षित रखना।
 - (३) समिति व विधालय को प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के दान व अनुदान एवं अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करना व उनकी प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करना।
 - (४) संस्था के सभी प्रकार के रिकार्ड व रजिस्टर आदि तैयार करना व उन्हें प्रमाणित करना व अध्यय्य से सात्यापित करना।
 - (५) अनुपानित बजट तैयार करना व उसे प्रबन्ध समिति से पास करना तथा बजट के आधीन रहते हुए सभी प्रकार के व्यय करना।
 - (६) संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना व संस्था का प्रतिनिधित्व विभागों में करना।
 - (७) संस्था के चारित प्रस्तावों को कार्य रूप प्रदान करना।
 - (८) सदस्य बनाना / एजेंडा प्रसारित करना / बैठकों का आयोजन करना।
 - (९) शिक्षा विभाग / विधालय प्रशासन योजना शिक्षा संहिता संहिता— राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या उनकी विभागों, अनुबंधों द्वारा विधालय प्रबन्धक / भंडी को प्राप्त होने वाले सभी अधिकारी का पालन व प्रयोग करना।
 - (१०) संस्था द्वारा अवधा उसके विस्तृद होने वाली समस्त अटालनी कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

लक्ष्म-प्रतिलिपि

(१०)

दा. निवेद्य
१ अप्रृष्ट तथा दोषात्मक
आवक्षण

Prachi
Monika
Jyoti

- (११) सभी प्रकार के वैतानिक कर्मचारियों की विषयकता, विभूति, पठेंनति निकासन एवं निलम्बन आदि के निर्णय लेना ।

(१२) संस्था की ओर से जारी होने वाली सभी आटेंडेंस पर अपने जमानाघर करना ।

(१३) विलो व जातियरो का भुगतान करना ।

(१४) अपने हस्ताख्यों से संस्था के नाम से खाता खोलना व उसका संचालन / धनाहरण करना आदि ।

(१५) ऐसी विधि में जब प्रबन्ध समिति की बैठक शुलायी जाता सम्भव न हो तो उसके तब अध्यक्ष की सहमति से आपातकालीन निर्णय लेना ।

(१६) प्रबन्धकारियों समिति के विरोधानुसार अन्य कार्यों को करना ।

(४) उपचारक / उपमी :—

- (१) प्रबन्धक मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करना ।
 - (२) प्रबन्धक मंत्री की अनुसंस्थिति में प्रबन्ध मंत्री अथवा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा उदर्घ रूप से प्राप्तिकृत अधिकारों को प्रयोग करना व कार्यों का पालन करना ।
 - (३) उपप्रबन्धक को वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं होगे ।
 - (४) प्रबन्धकारिणी समिति के विषयानुसार अन्य कार्यों को करना ।

(५) क्लोसाप्यादः—

- (१) संस्था के आय-व्यय का विवित रद्द रुक्खर व लिस्ट पढ़ी करना। संस्था का वार्षिक बजट तैयार करने में प्रबन्धक / भवी को मदद करना व आवश्यक सुझाव देना।
 - (२) सदस्यों से सदस्यता गुल्क प्राप्त करना।
 - (३) ऑडिट हेतु प्रपत्र तैयार करना।
 - (४) नियुक्ति ऑडिटर से विवित अधिकार करवाना।
 - (५) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयानुसार अन्य कार्यों को करना।

(१३) संस्का के नियमों व विनियमों में संसोधन प्रक्रिया:-

संसद के साधारण सभा के $\frac{2}{3}$ बहुमत से अद्देश्यों एवं नियमों में संशोधन, किया जा सकेगा।

(१३) / सौम्या का कोष:-

संस्था का समर्पण कोष किसी भावन्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा होगा। जिसका संचालन संस्था के अध्ययन अभ्यास प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा।

(२) यदि किसी नियम या योजना के लिए संसद का स्वाता संयुक्त रूप से खोला जाना अनिवार्य होगा। जो उस योजना विशेष के लिए संसद का स्वाता—कोषाध्यक्ष व प्रबन्धक / मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला व बताया जा सकेगा। आवश्यकता होने पर विराजलय / संसदानों / केन्द्रों के प्रभारी को वैक संवादन हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

संस्था के आय व्यय से सम्बन्धित अधिकेन्दु अव्यक्त दारग प्रमाणित होने चाहिए।

- (१३) संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट) :—
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्त्वारण सभा के द्वारा नियुक्त आडिटर के द्वारा कराया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षण बारेंड एकाउन्टेन से कराया जायेगा।

(१४) संस्था द्वारा अथवा उसके विस्तृत समस्त अदालती कार्यवाहियों का उत्तरदायित्व :—
यदि संस्था किसी पर मुकदमा चलानी है या संस्था पर मुकदमा चलाया जाता है तो समस्त अदालती कार्यवाही संस्था के प्रबन्धक/ मंत्री के नाम से या उसके द्वारा जायेगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष को भी उक्त अधिकार होने।

(१५) संस्था के अधिलेखा—
 (१) सदस्यता रजिस्टर
 (२) कार्यवाही रजिस्टर
 (३) सम्पत्ति रजिस्टर
 (४) लेखा पुस्तके आदि

(१६) संस्था के विधेन पर संस्था की समर्थित समान उद्देश्यों की संस्था को देने की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के द्वारा (१३) (१४) के अनावृत की जायेगी।

१५१-प्रैत्य-इतिविषय

१८८५ (८) दिसंबर
१८८५ तार्कनीय उत्ता लोकाशीर